न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4326–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 112/13–14/अपील.

.....

रामचरण लाल शर्मा पुत्र भूरेलाल शर्मा
निवासी ग्राम भानगढ़
हाल निवासी आमखो लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन .....अनावेदक

.....

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.के. अग्रवाल, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, शिवपुरी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भानगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 922 रकबा 0.480 एवं सर्वे कमांक 1022 रकबा 3.570 हेक्टेयर कुल रकबा 4.050 हेक्टेयर के भूमिस्वामी फुम्मन सिंह थे । उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में नोटराईज वसीयत की गई है । फुम्मन सिंह की मृत्यु हो चुकी है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर फुम्मन सिंह के स्थान पर उसका नामान्तरण किया जाये । नायब

तहसीलदार, द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/12–13/अ–6 दर्ज किया जाकर दिनांक 31–12–12 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई एवं नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वे संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत पृथक से कार्यवाही सुनिश्चित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई, और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–10–2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण की मांग की गई थी । यदि आवेदक की ओर से मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई थी, तब तहसील न्यायालय को मूल वसीयत की मांग करना चाहिए थी । यह भी कहा गया कि दिनांक 21–12–2013 की वसीयत के आधार पर प्रोबेट न्यायालय द्वारा आवेदक को उत्तराधिकारी माना गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयत प्रमाणित हुई है, अतः तहसील न्यायालय को आवेदन पत्र निरस्त नहीं कर नामान्तरण करना चाहिए था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष भी प्रोबेट प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उनके द्वारा भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । उनके द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में साक्ष्य लेकर एवं आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है, और भूमिस्वामी बिना वारिस के मृत हुआ है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत वसीयनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों सन्देहास्पद है क्योंकि वसीयत वर्ष 1991 में निष्पादित की गई है जिसमें वसीयतकर्ता की उम्र 65 वर्ष दर्शाई है जो कि संदिग्ध प्रतीत होती है, इसके अतिरिक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में वसीयतकर्ता की मृत्यु 25–9–01 दर्शाई गई है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण दिनांक 30–9–12 को लगभग 12 वर्ष पश्चात् कराया गया है, अतः मृत्यु प्रमाण पत्र भी स्पष्टतः संदिग्ध प्रतीत होता है । यहॉ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि प्रश्नाधीन भूमि ग्राम भानगढ़ जिला शिवपुरी में स्थित है, जबकि वसीयतकर्ता की मृत्यु ग्राम खुरजान तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में होना बताया गया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से मूल वसीयतनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि विक्रय से वर्जित है, परन्तु वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत करने के पूर्व कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत पृथक से कार्यवाही संस्थित कर निराकरण करने के निर्देश तहसीलदार को देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान

अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार के समक्ष वसीयत प्रमाणित हुई है, अतः तहसीलदार को आवेदन पत्र निरस्त न कर नामान्तरण करना चाहिये था क्योंकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत वसीयत स्पष्टतः संदिग्ध थी। यदि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कोई स्वत्व है तो वह स्वत्व निर्धारण के संबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2014 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर